Academe *Journal of Education & Psychology*
Volume-4, Issue-2, Year-2014(July- December)
PP: 13-17 *ISSN No: 2249-040X*

नारी की अस्मिता एक नज़र– आधुनिक परिवेश में

किरण शर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, डी.ए.वी. कॉलेज फॉर गर्ल्ज़, यमुनानगर ।

प्रकृति और पुरूष से मिलकर इस संसार का सृजन हुआ प्रकृति को ही नारी तत्व कहा गया है जो मातृत्व धारण किए हुए है । जन्म से लेकर पालन–पोषण और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में नारी का योगदान सर्वोपरि है । हमारी भारतीय सभ्यता व संस्कृति की सूत्रधार नारी है । हमारे यहाँ नारी को जगत–जननी कहा गया है । उसको गुरु, पिता व देवताओं से बढ़कर माना है । हर युग में नारी पुरूष से श्रेष्ठ रही है ।

चितवन के तिरछे तार से

स्मृतियों के पुष्प–प्रहार से

जड़ भूले नर–मन को पुनः

चेतन–पथ में लाती रहो ।

नारी–गरिमा की स्थापना की उपर्युक्त पद्धति सीधी और सरल है जहाँ किसी चरित्र द्वारा अथवा प्रत्यक्ष वर्णन द्वारा ही नारी की गौरवमय स्थिति को वांछनीय बतलाया गया है। प्राचीन काल में भारतीय समाज में नारी का सम्मान मर्यादायुक्त रहा है। वैदिक युग की नारी बुद्धि व ज्ञान के क्षेत्र में प्रवीण थी। पूर्व मध्यकाल तक आते–आते नारी का आदर्श व मान व्यवहारिक रूप से हटकर केवल शाब्दिक रूप तक ही रह गया था। लेकिन माँ का स्थान सदैव गुरू से उच्च माना जाता रहा है। शूरवीरों का एक आदर्श था कि वे पराई स्त्री को अपमानित न करे। सामन्ती युग में नारी को विलासिता की वस्तु बना लिया गया। मध्ययुग में मृत पति के साथ सहगमन स्त्री का त्याग एवं बलिदान माना जाने लगा। सती स्त्री माता–पिता तथा पति तीनों कुलों को पवित्र करने वाली कही गई। मुगल काल में सती प्रथा पर अकबर ने रोक लगायी। आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज बुलन्द की। स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द ने भी नारी जागृति की अलख जगायी। महात्मा गांधी ने स्त्री को घर की चारदीवारी से बाहर निकलने का साहस प्रदान किया। उनका विचार था 'स्त्रियाँ पुरुष की सहचरी है। उसकी मानसिक शक्तियाँ कहीं भी पुरुष से कम नहीं है। गाँधी जी का कहना था 'बाल विवाह से मुझे घृणा है और विधवा बालिका को देखकर मैं काँपने लगता हूँ, पत्नी के देहान्त के पश्चात् तुरन्त शादी करने वाले पुरुष को देखकर मैं पागल हो जाता हूँ।' यंग इंडिया में उन्होंने लिखा 'पत्नी पति की गुलाम नहीं, साथी है, सहचरी और मित्र है।' उन्होंने कहा स्त्री अब अबला नहीं। पाशविक शक्ति में भले ही स्त्री पुरुष से कम हो लेकिन नैतिक बल में पुरुष से आगे है उसमें पुरुष से कहीं अधिक अन्तः प्रज्ञा, क्षमता, सहनशक्ति और साहस है।

20वीं शताब्दी के आरम्भ में भी नारियों की दशा अत्यन्त शोचनीय थी। उस समय में भी नारी पुरुष पर आश्रित थी। अपने पैरों पर खड़ा होने का अधिकार उसको नहीं था। उसे शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था अर्थात् उसका अपना कोई वर्चस्व नहीं था। भारतीय

समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई असमानता एवं पुरुषों के द्वारा उनके प्रति हेय–दृष्टि रखने के कारण महिलाओं के प्रति बढ़ती हुई, अत्याचार, अन्याय व असमानता की भावना आदि कृत्यों में आज भी बेहताशा वृद्धि हो रही है। जिस समाज में नारी को आज भी पैर की जूती और ढोल, गंवार, शूद्र एवं पशु के समान पीटने योग्य समझा जाता है, उस समाज में नारी की स्थिति क्या होगी। इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद विचारशील नेताओं ने नारी को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार देने की बात कही लेकिन कुछ सामाजिक कुसंस्कारों ने अभी तक महिलाओं को अपने पिंजरे में जकड़ रखा है। आम भारतीय नारी यह भी नहीं जानती कि उनके कल्याण के लिए कौन से कानून बने हैं? भारतीय संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए है। महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समकक्ष बनाने एवं उनके विकास की दिशा में अनेकों महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गए है। हर कानूनी सुविधायें स्त्रियों को प्राप्त हैं किन्तु फिर भी घर–घर अशान्ति, अव्यवस्था, कलह–क्लेश का वातावरण फैला हुआ है। परिवार टूट रहे हैं। तलाक के झगड़े, सम्पत्ति को लेकर झगड़े अदालतों में इकट्ठे हो रहे हैं। इसका कारण नर–नारी में सामंजस्य का अभाव है। अतीत से लेकर वर्तमान तक में स्त्री को हर अवस्था में उसके कमतर होने का अहसास कराया गया है। हर अवस्था संघर्षों भरी होती है।

आधुनिकता और रूढ़िवादिता के मिश्रण से बना वर्तमान समाज और उसमें नारी की स्थिति सहज नहीं है। वह दिग्भ्रमित है तभी तो स्वाधीन और आत्मनिर्भर होकर भी वह दरिद्र, दयनीय पराधीन और शोषित है। कहने को आज की स्त्री आजाद है, पर इस आजादी की कीमत उसे हर जगह पर चुकानी पड़ती है। स्त्रियों के खिलाफ हिंसक घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है।

धीरे–धीरे नारी की स्थिति में परिवर्तन प्रारंभ हुआ जिसे हम तत्कालीन समाज, काल, परिस्थितियों की देन कह सकते हैं। वर्षों तक शापित, दमित, कुंठित, पराजित, आश्रित, अपमानित, तिरस्कृत नारी को संभलने में शताब्दियाँ लग गई। अनेक महान विभूतियों एवं नारी के स्वप्रयास से अनेक बुराईयों पर रोक मुहिम चलाया गया जिससे नारी अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन सकी और तब से वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर अद्यतन पुरुष समाज में बराबरी के लिए संघर्षरत है।

महिला सशक्तिकरण का प्रश्न कई दशकों से चिन्ता का विषय रहा है। संसार में स्त्री–पुरुष की संख्या लगभग बराबर रखी, परन्तु उसमें भी तथाकथित एडवांस कहे जाने वाले लोगों ने छेड़–छाड़ शुरू कर दी है। नारी के अधिकारों एवम् कर्त्तव्यों को लेकर आदिकाल से ही चर्चा होती रही है। यदि हम सामयिक परिदृश्य पर नजर डालें तो कुछ आंशिक सफलता मिलती हुई नजर आती है। जैसे–राजनीति, विज्ञान, शिक्षा एवम् व्यापार के क्षेत्र में और मीडिया, टी.वी. सिनेमा एवं विभिन्न सांस्कृतिक आयामों के क्षेत्र में महिला अपेक्षाकृत अधिक सशक्त हुई है।

'महिला–सशक्तिकरण' जैसे दिखावटी नारे के प्रलोभन जाल में न फंस कर नारी को सही मायने में सशक्त होने की सख्त जरूरत है। नारी–अस्मिता से जुड़ा हर पक्ष बल्कि हर शब्द अपने आप में महत्त्वपूर्ण है। क्या कोई जानता है कि उन्नति–प्रगति की दौड़ में हम सारी दुनिया से पीछे क्यों रह गए? क्योंकि इस पुरुष–प्रधान या कह लें कि पितृ सत्तात्मक समाज ने अपने आधे हिस्से को नकारा तथा उपेक्षित एवं अधिकार विहीन बना कर रखा है

। नारी शक्ति को सम्मान देकर ही चहुँमुखी प्रगति की जा सकती है। जिसका जिम्मा इस नयी पीढ़ी के हर युवा को उठाना होगा और इसे अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना होगा। अंधेरों को पीछे छोड़कर उजालों की ओर कदम बढ़ाने के लिए एक नहीं अनेक मशालों की जरूरत है। किसी ने ठीक ही कहा है –

'हे नारी यदि तुझे भरनी है, आसमान में ऊँची उड़ान।

तो उठा ले हाथ में मशाल और प्राप्त कर ले अपने सभी अधिकार'।

यदि नवागत पीढ़ी में ऐसी मशाल जलाने, थामने और उसके छाया–वृत्त में अलख जगाने की उत्कट लालसा पैदा होगी तभी सभी अर्थों में नारी सशक्त होगी। अन्यथा नारी सशक्तिकरण बैनर पर सुनहरे अक्षरों से लिखा एक सजावटी–नारा ही बनकर रह जाएगा, जिसे साल में एक बार धूप दिखाई जाएगी ... महिला दिवस मना कर।

किसी भी देश या समाज के विकास का आंकलन उस देश की महिलाओं की स्थिति का आंकलन कर किया जा सकता है। आधुनिक संचार क्रांति के कारण आज हम एक नये संसार के दरवाजे पर खड़े है। फिर भी वर्तमान समय में अनेक प्रयासों के बावजूद हमारे देश की महिलाओं की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हो पाया है। आज हमारा देश विश्व के प्रगतिशील देशों में अग्रणी होने के बावजूद महिलाओं की एक बड़ी आबादी अशिक्षा, निर्धनता, असमानता के कारण उपेक्षित है। प्राचीन काल से लेकर आज के आधुनिक समय तक महिलाएँ अनेक स्तर पर उपेक्षित है। महिलाओं की उपेक्षा के लिए परिस्थितियाँ तथा सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था उत्तरदायी रही है। सरकार तथा समाज को हर संभव प्रयास करके इस दशा को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। पुरुष प्रधान समाज को यह याद रखना चाहिए कि महिलाओं की उपेक्षा कर कोई भी राष्ट्र अपने को विकसित नहीं कर सकता।

राष्ट्र निर्माण में महिला और पुरुष समान भूमिका का निर्वाह करते हैं किन्तु वास्तविक विकास का स्तर पुरुष तथा नारी के समान रूप से विकसित हुए बिना प्राप्त कर पाना सम्भव नहीं है। 'यद्यपि 73वें तथा 74वें संविधान में नारी को कहीं ज्यादा अधिकार, तथा शिक्षा, रोजगार एवं राजनीति के क्षेत्रों में अनेक अवसर प्रदान किए गए है।' गाँव हो या नगर, प्रदेश हो या देश अथवा विश्व, हर जगह नारी अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखा रही है।

'राष्ट्र के रूप में हमारी क्षमता का उपयोग तभी हो सकता है जब महिलाएँ जो हमारी आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, अपनी पूरी क्षमता का सदुपयोग कर सकें एक रथ की भाँति। पुरुष के समान महिला शक्ति का सदुपयोग हमें मजबूत बनाता है। सशक्त महिला ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। स्वस्थ समाज के लिए आवश्यकता है कि आज हर स्त्री अपने भीतर थोड़ा पुरुष और हर पुरुष अपने भीतर थोड़ी स्त्री ढूंढ ले। अगर वह वहाँ न हो तो रच लें। आखिर यह अर्द्धनारीश्वर का, पुरुष और प्रकृति का, शिव और शक्ति का देश है। शक्ति को दबा–कुचल कर शिव भी नहीं रह पाएगा। स्त्री और संघर्ष एक ही सिक्के के दो पहलू है। अपने अधिकारों के प्रति सचेतन होना जरूरी है।

'मुसीबतों का सामना हम करते जायेंगे,

गर मिल गया सहारा, हम बढ़ते जायेंगे।

भूमण्डलीकृत दुनिया में भारत और यहाँ की नारी ने अपना नितान्त सम्मानजनक स्थान बना लिया है।

अबला बन गई है सबला

अधिकारों को पहचाना है।

नारी को मानव की मार्गदर्शिका कहा गया है –

'नारी ही सम्पूर्ण राष्ट्र है, धर्म, कर्म, संस्कृति, युग चेता,

जन्म–सिद्ध जन की समाज की देश जाति मानव की नेता।'

नारी गरिमा का यह चरम बिन्दु है और यह स्वाभाविक ही है कि हमारा मन इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है – 'इस भव में शोभित है नारी, नारी से शोभित है यह भव।'

नारी–अस्मिता से जुड़ा हर पक्ष बल्कि हर शब्द अपने आप में महत्त्वपूर्ण है लेकिन सतही बुद्धि वाले लोग इसे नहीं समझेंगे या समझते हुए भी न समझने का नाटक करेंगे ताकि मनमानी कर सके। इस दिशा में नारी समर्थकों द्वारा अनेक सराहनीय प्रयास किए जा रहे है, फिर भी ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो अभी भी उत्तरित नहीं हो पा रहे। सतयुग से इस साइबर युग की महायात्रा में स्थितियाँ कुछ सुधरी–संवरी और नारी अपनी गरिमा–महिमा को बचाते हुए अपनी कार्य–कुशलता का परचम फहराने में सफल हुई।

नारी–स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ आत्मनिर्भर होना, फैशन की नंगी–अंधी दौड़ में दौड़ना या पुरुषों का दमन करना नहीं है। इसका सच्चा सही अर्थ तो संतुलित सहभागिता है। पुरुष–स्त्री, पति–पत्नी होने के साथ–साथ, एक दूजे के पूरक हो, मित्र हो तथा एक दूसरे की तमाम भावनाओं का आदर करने वाले हो। समानता की होड़ में स्त्री अपने कोमल चारित्रिक गुण न खो बैठे, यह ध्यान उसे रखना होगा। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाएँ जागरूक होकर अपनी अस्मिता को पहचान कर अपने अधिकारों के लिए प्रयास करें। जब महिला सशक्त होगी तो देश और समाज सशक्त होगा वरना नारी सशक्तिकरण का नारा अधूरा रह जायेगा।

'सशक्त नारी

सशक्त समाज

सशक्त देश'।

महिलाओं को अपने आप ही आगे बढ़–चढ़कर हिस्सा लेकर आगे का रास्ता प्रशस्त करना है।

'स्वतन्त्रता आ गई, अभी उस

लक्ष्मी को तो आना है

और साथ ही सरस्वती को

हमें मनाकर लाना है।

स्त्री ईश्वर की अनूठी रचना है। स्त्री जीवन की जड़ है, इसे काटोगे तो संसार नष्ट हो जायेगा। स्त्री समाज का तारण करने वाली है, बावजूद इसके कि वह सांसारिकों के लिए

भोग की वस्तु न बन जाये। ऐसे में स्त्रियों को खुद आगे आना होगा तभी उसकी शक्ति का जागरण हो सकेगा।

'हटा दो सब बाधाएँ मेरे पथ की
मिटा दो आशंकाएं सब मन की
जमाने को बदलने की शक्ति समझो,
कदम से कदम मिलाके चलने तो दो मुझको।

सहायक ग्रन्थ

1. देवराजः धरती और स्वर्ग, पृ. 28 (19)
2. महात्मा गांधी, यंग इंडिया (1919–1922) (ट्रिपल केन मद्रास 1022, पृ. 749)
3. आर. एस. दुबे – भारतीय नारी : वर्तमान समस्याएँ और भावी समाधान, पृ. सं. 20
4. दैनिक जागरण 7 मार्च 2009 में दिये गए राष्ट्रपति (श्रीमती) प्रतिभा पाटिल के वाक्यांश के अनुसार
5. अतुल कृष्ण स्वामी : नारी, पृ. 120
6. मैथिली शरण गुप्त : अंजली और अर्घ्य, पृ. 13